संख्या- 50/2026/1222/2026/1440478/12-2099/161/2021

प्रेषक,

रविन्द्र
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक 18 सितम्बर, 2026**

विषय:- खरीफ 2026 मौसम में क्रॉप कटिंग प्रयोगों को भारत सरकार द्वारा निर्मित GCES एवं CCE Agri App. के माध्यम से सम्पादित कराने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि फसलों के उपज का ऑकलन उन पर आयोजित फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। इन प्रयोगों के सही-सही सम्पादन से ही उपज के सटीक अनुमान ऑकलित किये जा सकेंगें तथा प्रदेश में फसलों के उत्पादन का सही अनुमान ऑकलित करना सम्भव हो सकेगा। यहाँ पर उल्लेख करना प्रासंगिक है कि फसलों के उपज के अनुमान के आधार पर प्रदेश में संचालित फसल बीमा योजनाओं के अन्तर्गत बीमित कृषकों की फसलों की क्षति का ऑकलन करते हुए क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। बीमित कृषकों को विपरीत परिस्थितियों में बीमा का लाभ वास्तविक क्षति के अनुरूप प्राप्त हो सके इसके लिए आवश्यक है कि फसलों के उपज के अनुमान का सही-सही ऑकलन के लिए कटाई स्तर पर जनपदीय अधिकारियों से इन प्रयोगों का अधिक से अधिक संख्या में निरीक्षण किया जाए, साथ ही इस कार्य की प्रगति की समीक्षा भी समय-समय पर किया जाना आवश्यक होगा। इससे इस कार्य की समय से प्राप्त परिणामों की गुणवत्ता एवं सुतथ्यता में वृद्धि होगी।

2- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा क्रॉप कटिंग प्रयोगों को GCES एवं CCE Agri App. के माध्यम से कराने पर विशेष बल दिया गया है। वर्तमान खरीफ 2026 मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत आयोजित होने वाले क्रॉप कटिंग प्रयोगों को CCE Agri App. तथा उत्पादन एवं उत्पादकता हेतु GCES App. के द्वारा सम्पादित कराया जाना अनिवार्य किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

इसके लिए खरीफ मौसम के प्रारम्भ में ही जनपदों एवं तहसीलों में राजस्व कार्मिकों को पूर्व में प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा चुका है।

भारत सरकार द्वारा निर्मित GCES एवं CCE Agri App. के माध्यम से क्रॉप कटिंग प्रयोगों को समय से सम्पादित कराने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन किया जाना आपेक्षित है:-

(i) जनपदों में जिलाधिकारी के स्तर पर क्रॉप कटिंग प्रयोगों के सम्पादन का निरीक्षण करने हेतु नामित जनपदीय अधिकारी यथा राजस्व विभाग, कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने आवंटित ग्रामों के अतिरिक्त अपने क्षेत्रीय भ्रमण के समय अन्य ग्रामों में सम्पादित कराये जा रहे क्रॉप कटिंग प्रयोगों का आकस्मिक निरीक्षण भी कराया जाये।

(ii) क्रॉप कटिंग प्रयोगों से सम्बन्धित तालिका नम्बर-1 व 2 को निर्धारित समयान्तर्गत तहसीलदार के माध्यम से भूलेखाधिकारी को प्राप्त कराया जाय, तत्पश्चात भूलेख अधिकारी द्वारा प्राप्त तालिकाओं से प्राप्त ऑकड़ों को राजस्व परिषद को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) ऑकड़ों की गुणवत्ता एवं सुतथ्यता के लिए ग्रामपंचायत स्तर पर लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक तथा तहसील स्तर पर तहसीलदार एवं उपजिलाधिकारी उत्तरदायी होगें।

(iv) उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु मण्डलायुक्तों / जिलाधिकारियों के द्वारा समय-समय पर बैठक / वीडियों कान्फ्रेंसिग के माध्यम से समीक्षा की जाय तथा प्रगति की सूचना कृषि निदेशक एवं शासन को उपलब्ध करायी जाये।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान खरीफ 2026 मौसम में भारत सरकार द्वारा निर्मित GCES एवं CCE Agri App. के माध्यम से क्रॉप कटिंग प्रयोगों का सम्पादन शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, ताकि फसलों के उत्पादन उत्पादकता का सटीक ऑकलन हो सकें।

भवदीय,

रविन्द्र

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 50/2026/1222/2026/1440478/12-2099/161/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन,
2- संयुक्त सचिव, एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली,
3- निदेशक, कृषि सांख्यिकी, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ,
5- कृषि निदेशक, उ0प्र0 कृषि भवन, लखनऊ,
6- निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संजीव रंजन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश **इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है**, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता **नही है** ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित **की जा सकती है** ।